388

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

नि/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/0236

1. हाकिम सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह
निवासी-कवराटा तहसील बड़ागांव
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

.... अपीलार्थी

बनाम

ज्ञान सिंह पुत्र गिरवार सिंह
निवासी-कबराटा तहसील बड़ागांव
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

.... प्रतिअपीलार्थी

श्री ... द्वारा आज दि. ...8.1.18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 5-2-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 8.1.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

अपील प्रतिकूल आदेश 27.07.16 अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बडागांव
प्रकरण क्र. 25(अ) 12 / 2015-16

महोदय,

अपीलार्थी की ओर से विनय इस प्रकार है -

भूमि स्थित ग्राम कवराटा तहसील बड़ागांव जिला टीकमगढ़ म.प्र. खसरा क्र. 283/1 के अंश रकवा में 40 हैक्टेयर एवं 0.130 हैक्टेयर पर निगराकार के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अनादिकृत अवैध सीमांकन किया गया जिसके अंतर्गत अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण क्र. 25 (अ) 12/ 2016 में 27.07.16 को आदेश पारित किया । जिसके विरूद्ध निगराकार की ओर से उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है ।

1. यह कि प्रतिनिगराकार द्वारा उक्त खसरा क्र. 283/1 का सीमाकंन हेतु अधिनस्थ न्यायालय तहसील दार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जहां पर प्रकरण पंजीबद्धकर 25 (अ) 12/2015-16 में 27.07.16 को सीमांकन राजस्व निरीक्षक मंडल बड़ागांव द्वारा स्वीकारकर निगराकार को अनादिकृत कब्जा धारी बताया जिसे हटाने हेतु प्रतिनिगराकार द्वारा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/236 — हाकिम विरूद्ध ज्ञानसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार बडागांव के प्रकरण क्रमांक 25/अ-12/2015-16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 27-07-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) सदस्य 31.01.19	